पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

'ऊर्जानिधि' **1,** बाराखंबा लेन,

नई दिल्ली - 110001

वेबसाइट : www.pfcindia.com

विज्ञापन संख्या : 01/संविदा/2018

अस्थायी आवश्यकता हेतु संविदा आधार पर तकनीकी समन्वयकों की भर्ती

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफ़सी), एक नवरत्न कंपनी है जो बिजली क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और अपने एमओयू लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत सरकार द्वारा इसे लगातार 'उत्कृष्ट' के रूप में आंका गया है।

जनशक्ति संसाधनों को बढ़ाने के लिए, पीएफसी पीएफसी द्वारा वित्तपोषित राज्य क्षेत्र परियोजनाओं की तकनीकी/परियोजना मॉनीटरिंग के लिए संविदा आधार पर तकनीकी समन्वयक के पद के लिए स्फूर्त, प्रतिबद्ध और स्व-प्रेरित युवा पेशेवर की तलाश में है:

क्रम सं.	पद	कुल रिक्तियां	तैनाती का स्थान अर्हता	आरक्षण	अर्हता	अनुभव एवं आयु सीमा
1	तकनीकी समन्वयक	16	यूपी -01 उत्तराखंड – 01 राजस्थान-01 पंजाब एवं हरियाणा-01 महाराष्ट्र – 01	अना -05 एससी – 02 एसटी-03 ओबीसी -04 पीडबल्यूबीडी	*न्यूनतम 60% अंकों के साथ कम से कम मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बीई/बी	विद्युत सेक्टर के संगत क्षेत्र अर्थात तकनीकी/परियोजना मॉनीटरिंग/परियोजना निष्पादन में कुल

			मध्य प्रदेश -03 तेलंगाना – 01 आंध्र प्रदेश -01 तमिलनाडु -04 और कर्नाटक-02 (आवेदक"पसंदीदा राज्य" के रूप में एक राज्य का उल्लेख करेंगे जहां उसने अनुभव प्राप्त किया है और उस राज्य में अपने प्रोफेशनल अनुभव के ब्योरे प्रदान करेंगे। वह केवल उन राज्यों में कार्य करने का पात्र होगा)	(*बी एवं सी श्रेणी प्रत्येक में एक)-02	टेक/डिप्लोमा (तीन वर्षीय) * संबंधित राज्य की भाषा में पढ़ने/लिखने/बोलने की क्षमता हो।	अर्हता पश्चात अनुभव –डिप्लोमा धारक के मामले में कम से कम 5(पाँच) वर्ष अथवा डिग्री धारक के मामले में कम से कम 3(तीन) वर्ष

* बी –बधिर और कम सुनाई देना सी-लोकोमीटर दिव्यांगता इसमें सीवब्रल पाल्सी, इलाज किया हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक के पीड़ित और मस्कुलर डायस्ट्रोफ़ी शामिल है।

संविदा की अवधि :

यह पूर्ण रूप से संविदात्मक नियुक्ति कार्य (असाइनमेंट) है। संविदा की अवधि शुरू में अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी और आरयू की सिफ़ारिश के अनुसार 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में यह एक बार में ढाई वर्ष से अधिक नहीं होगी। संविदा किसी भी पक्षकार द्वारा कोई कारण बताए बगैर 30 दिन का नोटिस देकर समाप्त कर दी जाएगी।

कार्य का विस्तृत विवरण

तकनीकी समन्वयक निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए स्टेट मॉनीटरिंग कंसल्टेंट (एसएमसी) की सहायता करेंगे:

- अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की मॉनीटरिंग करना (परियोजना स्थलों के दौरे शामिल हैं), अनुसूची के अनुसार परियोजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु बाधाओं की पहचान करना और इसके लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देना।
- राज्य विद्युत संस्थाओं से अपेक्षित रिपोर्ट/सूचना प्राप्त करना और पीएफसी द्वारा जब भी आवश्यक हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- राज्य क्षेत्र की विद्युत संस्थाओं एवं पीएफसी के बीच संपर्क करना।

- ➢ पीएफसी कार्मिकों के विद्युत संस्था कार्यालयों/परियोजना स्थलों के दौरे के लिए ऋणकर्ता के साथ समन्वय करना।
- ➢ परियोजना मॉनीटरिंग से संबंधित पीएफसी की किसी अन्य आवश्यकता को पूरा करना।
- ➢ नियम और शर्तों के साथ नियुक्ति के समय कार्य का विस्तृत दायरा प्रदान किया जाएगा।

परिलब्धियां एवं लाभ :

क्र. सं.	**अर्हता पश्चात अनुभव**	**एक महीने में 26 दिनों के लिए समेकित आधार पर परिलब्धियां**
1.	3-5 वर्ष	55,000 रुपए
2.	5 वर्ष से अधिक	62,000 रुपए

***ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर यथानुपात कटौती की जाएगी।

- सरकारी कामकाज के लिए स्थानीय यात्रा के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति वर्तमान नियमों के अनुसार की जाएगी।
- मोबाइल के मासिक किराए तथा इंटरनेट के लिए डाटा कार्ड और कॉल चार्ज की प्रतिपूर्ति वर्तमान नियमों के आधार पर की जाएगी।
- कार्य से संबंधित यात्रा के लिए टीए / डीए का भुगतान वर्तमान नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- अवकाश : अन्यथा लिए गए अवकाश के लिए, अनुपस्थिति की अवधि के लिए मासिक परिलब्धियों से यथानुपात कटौती की जाएगी।
- कार्य के लिए 24 घंटे नियुक्त रहने की आवश्यकता है।
- अन्य सांविधिक लाभ प्रासंगिक अधिनियम के अनुसार विनियमित होंगे।

पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए पद की उपयुक्तता

पीडबल्यूबीडी के लिए आरक्षण एवं नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 15.01.2017 के का ज्ञा सं. 36035/02/2017/स्था (आ) के अनुसार स्वीकार्य होंगी। संबंधित दिव्यांगता की 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ के पात्र होंगे।

छूटें / रियायतें :

- **सभी उपर्युक्त मानदंड सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए हैं। तथापि, एससी / एसटी / ओबीसी (एनसीएल) / पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए संविदात्मक नियुक्ति के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयु, अनुभव, अर्हता में अंकों की प्रतिशतता आदि से संबंधित छूटें लागू होंगी।

- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपने दावा के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, ओबीसी - एनसीएल (ओबीसी - गैर क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08 सितंबर, 1993 में निहित प्रावधान के अनुसार भारत सरकार / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ लागू निर्धारित प्रपत्र में किसी सक्षम प्राधिकारी से मान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि ओबीसी - एनसीएल को निजी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उस समय उनको इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे ओबीसी - गैर क्रीमी लेयर से हैं।
- ओबीसी के जो अभ्यर्थी " क्रीमी लेयर" से हैं वे ओबीसी - एनसीएल अभ्यर्थियों को ग्राह्य रियायत के लिए हकदार नहीं हैं तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी "सामान्य" के रूप में दर्शानी होगी।
- यदि एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र अंग्रेजी / हिंदी से भिन्न भाषा में जारी किया गया है, तो अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी में स्वयं प्रमाणित अनूदित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- यथालागू अधिकतम आयु सीमा में एससी एवं एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी - एनसीएल के लिए 3 साल, सामान्य श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, ओबीसी - एनसीएल के पीडब्ल्यूबीडी के लिए 13 साल और एससी / एसटी के पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 साल तक की छूट दी जा सकती है। तथापि, सभी लागू छूटों / रियायतों के बाद भी किसी भी स्थिति में आयु 58 साल से अधिक नहीं होगी।
- 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक जम्मू एवं कश्मीर में निवास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जा सकती है।
- आरक्षित रिक्तियों के लिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए अर्हता में अंकों के न्यूनतम प्रतिशत में शिथिल मानक पास ग्रेड है।

सामान्य शर्तें :

1. कार्य (असाइनमेंट) का अवॉर्ड अस्थाई आवश्यकता के लिए केवल संविदा आधार पर है, न कि किसी नियमित रिक्ति के निमित्त है। नियुक्ति अभ्यर्थी को पीएफसी में नियमन / स्थाई नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
2. उपर्युक्त पदों के लिए सभी अर्हताएं एआईसीटीई / यूजीसी / उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा भारत में मान्यताप्राप्त एवं अनुमोदित विश्वविद्यालयों / संस्थाओं से पूर्णकालिक होनी चाहिए।
3. आयु / न्यूनतम अनुभव के संबंध में आवश्यकता / अर्हता की सभी गणनाएं 11 जनवरी, 2019 (आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) के आधार पर की जाएंगी। परीक्षाफल घोषित किए जाने / अंक तालिका जारी किए जाने की तारीख को अर्हता हासिल करने की तारीख

माना जाएगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। किसी पद / लेवल पर अर्हता पश्चात कार्यपालक अनुभव की गणना केवल प्रभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी।

4. अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा ज्वॉइन करने के समय पर उनको निर्धारित प्रपत्र में किसी सरकारी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों के पास अपने-अपने राज्य से काम करने के लिए अपना स्वयं का फोन, कंप्यूटर / लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
6. प्रबंधन अभ्यर्थियों की दक्षता, अर्हता, अनुभव आदि तथा निगम की आवश्यकता के आधार पर उनके चयन/शॉर्टलिस्ट करने में वेटेज प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
7. शॉर्टलिस्ट किए गए बाहरी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु उन्हें यात्रा की टिकट/प्रमाण दिखाने पर सबसे छोटे मार्ग से आने और जाने का एकल टू टियर एसी रेल भाड़ा का भुगतान किया जाएगा।
8. प्रबंधन कोई कारण बताए बिना आवेदन प्रक्रिया और/या इसके अंतर्गत चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. इस विज्ञापन में दर्शाई गई अनुमानित रिक्तियों की कुल संख्या पीएफसी प्रबंधन के विवेक पर बढ़ सकती है / घट सकती है / निरस्त हो सकती है, यदि ऐसी आवश्यकता होती है। परिवर्तन, यदि कोई हो, पीएफसी की वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे।
10. राष्ट्रीयता के संदर्भ में पात्रता निगम की मौजूदा नीति के अनुसार होगी। किसी पद के लिए आवेदन करते समय, आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित तारीखों तक उपर्युक्त पात्रता तथा अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं तथा यह कि प्रस्तुत किए गए विवरण हर दृष्टि से सही हैं। यदि भर्ती के किसी चरण पर पता चलता है कि अभ्यर्थी पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या यह कि उन्होंने कोई गलत / झूठी सूचना प्रस्तुत की है या किसी सारवान तथ्य (तथ्यों) को छिपाया है, तो उनकी अभ्यर्थिता अपने आप निरस्त हो जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी किसी उपर्युक्त कमी का पता चलता है, तो किसी नोटिस के बिना उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
11. दावा के किसी मामले या इस विज्ञापन से उत्पन्न विवाद और/या उसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही केवल दिल्ली में शुरू की जा सकती है और ऐसे किसी विवाद / मुकदमा की सुनवाई करने के लिए केवल दिल्ली के न्यायालयों / अधिकरणों / फोरमों को एकल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।
12. अंग्रेजी से भिन्न संस्करण में निर्वचन के कारण उत्पन्न किसी संदिग्धता / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
13. ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे पहले निगम की सेवा से या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग से या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से या किसी स्वायत्त निगम से बर्खास्त किया गया है, हटाया गया है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त, निगम के ऐसे कार्मिक भी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं जिन्होंने निगम की सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

14. ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे नैतिक पतन के किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय में दोषी सिद्ध किया जा चुका है।

15. जहां केंद्रीय सरकार नियमावली के अंतर्गत उसके कार्मिकों के लिए यह अनुमत हो सकता है, उसे छोड़कर ऐसा कोई अभ्यर्थी निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके एक से अधिक जीवित जीवनसाथी हैं या जो जीवित जीवनसाथी के होते हुए दूसरा विवाह करता है जो ऐसे जीवनसाथी के जीवित रहने के दौरान घटित होने के कारण शून्य है।

16. आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन मानदंड अपनाया जाएगा :

क्रम संख्या	**मानदंड**	**अधिकतम अंक**	**अंक देने का आधार**	**दिए गए अंक**
1	शैक्षणिक अर्हताएं	10	बी टेक/ बी ई या इससे उच्चतर	10
			डिप्लोमा	5
2	विद्युत क्षेत्र में कुल अनुभव (केंद्रीय/राज्य क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 3 अंक)	10	7 वर्ष से अधिक	7
			5-7 वर्ष	5
			3-5 वर्ष	3
3	निष्पादन/निर्माण/मॉनीटरिंग में अनुभव (उत्पादन/पारेषण/वितरण में) (जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं उस राज्य में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 3 अंक)	10	> वर्ष	7
			5-7 वर्ष	5
			3-5 वर्ष	3
	कुल	30	कट ऑफ अंक	20

**अभ्यर्थी उस राज्य का उल्लेख करेंगे जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं क्योंकि उल्लिखित राज्य में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

17. किसी अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन के निमित्त ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से निर्धारित मानदंडों को पूरा करने मात्र से उसे साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं होगा / चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट करने का मतलब अंतिम नियुक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त मानदंडों के साथ किसी विशेष राज्य के लिए पात्र नहीं है, तो मूल्यांकन के अनुसार शीर्ष 5 स्कोरिंग अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए मानदंड आमंत्रित किए जा सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया / साक्षात्कार आदि के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची पीएफसी वेबसाइट (कैरियर पेज) पर प्रदर्शित किया जाएगा।

<u>आवेदन कैसे करें</u> :

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व, कृपया सुनिश्चित कर लें कि आप विज्ञापन के अनुसार पद के लिए पात्र हैं।
2. पात्र आवेदकों को पीएफसी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com (करियर पेज) के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा तथा **21 दिसंबर 2018 को 1000 बजे से 11 जनवरी, 2019 को 17.00 बजे तक** ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
3. मूल सूचना, अर्हता, अनुभव के सफल पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित स्व-प्रमाणित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं :
4. दस्तावेजों के सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद, आवेदकों को नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 100 रुपए (इसमें जीएसटी शामिल है) के आवेदन शुल्क (गैर प्रत्यर्पणीय) के ऑनलाइन भुगतान के लिए भुगतान गेटवे पर पहुंचाया जाएगा। एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
5. आवेदन शुल्क के सफल भुगतान के बाद, अभ्यर्थियों को 'फाइनल सब्मिशन ऑफ अप्लीकेशन' का चयन करना होगा। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन पत्र तथा भुगतान पावती पर्ची (यथा लागू) का प्रिंट अपने पास रखें। आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र पर लेन-देन आईडी तथा भुगतान स्टेटस (प्रदत्त), यदि लागू हो, का उल्लेख किया गया है।
6. ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सही ब्योरे प्रस्तुत करने / प्रदान करने में पूरी सवधानी बरतनी चाहिए। आप 'फाइनल सब्मिशन ऑफ अप्लीकेशन' से पूर्व सूचना को बदल सकते हैं। फाइनल सब्मिशन के बाद आवेदन को संशोधित / परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
7. अभ्यर्थियों को उस राज्य का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं क्योंकि उल्लिखित राज्य में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. भर्ती से संबंधित पूछताछ के लिए, अभ्यर्थी टेलीफोन नंबर 011-23456346 पर संपर्क कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय तकनीकी मुद्दों से संबंधित पूछताछ के लिए, अभ्यर्थी टेलीफोन नंबर 011-23456730 / 23456113 पर संपर्क कर सकते है।

<u>टिप्पणी</u> :

1. सभी आवेदकों से अनुरोध है कि निगम को आवेदन पत्र या किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी न भेजें।
2. अभ्यर्थियों की कोई मान्य ईमेल आईडी होनी चाहिए जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रहे। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को किसी दूसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी का उल्लेख नहीं करना चाहिए।
3. अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि शीघ्रता से आवेदन करें और आवेदन प्रस्तुत करें तथा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि / समय तक प्रतीक्षा न करें। अंतिम समय में भीड़-भाड़ के कारण यदि अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो इसके लिए पीएफसी जिम्मेदार नहीं होगा।
4. कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास रखें।

******